

Form No-|||

अज अदालत फर्द अहकाम (नियम 26)
उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

क्रमांक मुकदमा 136 एल आर एचट
जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/37
विनोद कुमार बनाम सरकार
नम्बर 37 सन् 2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्रा जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए |
|------------|--|---|
| 04/01/2022 | <p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>समोना कोठी</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/1549 दिनांक 04/01/2022 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>सीपवहर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>32 P.S.B</u> की जमाबंदी सम्बत <u>2013-2016</u> के खाता सं. <u>16</u></p> <p>विनोद सोनेराम</p> <p>के स्थान पर <u>विनोद कुमार सोनेराम</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>समोना कोठी</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>32 P.S.B</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत <u>2013-2016</u> के खाता सं. <u>16</u> में</p> <p>विनोद सोनेराम</p> <p>के स्थान पर <u>विनोद कुमार सोनेराम</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अकल तदनुसार करना। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फँसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> | <p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए</p> |

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

